कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरूणा जोन पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 16-04-2024

विषय:- पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल के निर्देशन में सर्विलांस, एस0ओ0जी0 टीम व थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा अपहृत अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार पटेल की सकुशल बरामदगी

दिनांक 27-03-2024 को अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार पटेल पुत्र जवाहिर पटेल निवासी लखनपुर थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी समय लगभग 11.30 बजे लापता हो गये थे, जिसके सम्बन्ध में थाना मण्डुवाडीह पर मु0अ0सं0 0048/2024 धारा 365 भादवि पंजीकृत किया गया था।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा अपहृत अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र पटेल की बरामदगी हेतु अपर पुलिस उपायुक्त अपराध श्री सरवणन टी. नेतृत्व में थाना मण्डुवाडीह, एस0ओ0जी0 व सर्विलांस सेल की टीम गठित की गई थी । संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध, पुलिस उपायुक्त वरूणा जोन व सहायक पुलिस आयुक्त रोहनियां के कुशल पर्यवेक्षण में टीमों द्वारा भौतिक व तकनीकी साक्ष्यों की मदद से दिनांक 15.04.2024 को समय करीब 21.25 बजे जनपद प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास से बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण बरामदगी-

उक्त पंजीकृत अभियोग की विवेचना के क्रम में ज्ञात हुआ कि अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र पटेल दिनांक 20.03.2024 को प्लान के तहत OLX से पुराना मोबाईल खरीदा और उसी दिन उसमें नया सिम लगाया लेकिन किसी से वार्ता नही किया। दिनांक 27.03.2024

को मोबाईल (नया व पुराना) बन्द रखा । दिनांक 28.03.2024 को बिजनौर में नया मोबाइल ऑन किया । हरियाणा, पंजाब व गुजराज होते हुए दिनांक 04.04.2024 को मुम्बई गया । वही पर दिनांक 14.04.2024 तक रहा और उसके बाद दिनांक 14.04.2024 को मध्य प्रदेश आया । मध्य प्रदेश में नया मोबाईल बन्द कर पुराना मोबाईल ऑन किया गया । उसके बरामदगी हेतु महाराष्ट्र व ग्वालियर के लिए पहले से ही टीमें रवाना किया गया था । तीसरी टीम द्वारा (सर्विलांस, एसओजी व थाना मण्डुवाडीह) तकनीकी निगरानी से जनपद प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास से बरामद किया गया ।

<u>विवरण पूछताछ-</u>

पूछताछ में अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र पटेल ने बताया कि मेरे द्वारा कई बैंकों से लोन लिया गया था, जिसकी किस्तें टूट रही थी । बैंकों द्वारा बार-बार इस सम्बन्ध में मुझे फोन किया जा रहा था, मैं तंग आ गया था । बहुत सारा नं0 बैंकों का मैंनें ब्लाक कर दिया था । परन्तु नये नये नंम्बरों से फोन आ रहा था । परेशान होकर मैं अपना सिम बन्द कर, नया फोन व सिम लेकर गायब हो गया और अपहरण की झूठी सूचना दे दी । मैं दिनांक 27.03.2024 को अपने बाईक से 11.00 बजे घर से निकला । योजना के तहत अपनी बाईक को गेट नं0 04 फुलवरिया रेलवे गुमती के पास खड़ा कर दिया और वहाँ से पैदल ही कैण्ट स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़कर बिजनौर हरियाणा गुजरात होते हुए मुम्बई गया । जाते समय रास्ते से अपने भाई को भ्रमित करने हेतु एक टेक्स्ट मैसेज स्वयं के अपहरण का डाल दिया, जिससे कि मेरे घर वाले गेट नं0 04 पर पहुँचकर मेरी बाईक वहाँ से प्राप्त कर लें ।

<u>बरामद अपहृत का विवरण-</u>

- श्री सुरेन्द्र कुमार पटेल अधिवक्ता पुत्र पुत्र जवाहिर पटेल निवासी लखनपुर थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

- 02 अदद मोबाइल फोन (नया व पुराना)

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

- मु0अ0सं0 0048/2024 धारा 365 भा.द.वि. थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

सर्विलांस सेल	**एस0ओ0जी0**	**थाना मण्डुवाडीह**
निरी0 दिनेश यादव, प्रभारी सर्विलांस	उ0नि0 मनीष मिश्रा प्रभारी एस0ओ0जी0	प्र0नि0 भरत उपाध्याय थाना मण्डुवाडीह
उ0नि0 अमित कुमार यादव	उ0नि0 विनोद विश्वकर्मा	उ0नि0 पवन कुमार यादव
हे0का0 सत्येश राय	हे0का0 ब्रह्मदेव	उ0नि0 श्यामधर बिन्द
हे0का0 दिवाकर वत्स	का0 आलोक मौर्य	उ0नि0 सत्यप्रकाश सिंह
हे0का0 सुनील राय	का0 पवन तिवारी	हे0का0 सुनील राय
का0 पंकज	का0 रमाशंकर यादव	हे0का0 शक्ति सिंह
का0 विराट सिंह (साइबर सेल)	का0 अंकित मिश्रा	हे0का0 शत्रुघ्न सिंह
	का0 दिनेश कुमार	का0 अमित तिवारी
		का0 अवनीश यादव
		का0 रणधीर सिंह
		का0 विकास कुमार
		का0 सूर्यभान सिंह

नोट:- पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा बरामदगी करने वाली टीम को रूपये 1,00,000/- (एक लाख रूपये) का पुरस्कार दिया गया है।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरूणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।